APP-A
crim-1

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 20)

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मांडल

बनाम लाडू बरदा

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र नं. 641 सन् 2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18-11-16	पत्रावली पेश हुई। दखील प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षी क्र०1 से 9 की ओर से कोई पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने तथा विपक्षी क्र०1 से 9 स्वयं उपस्थित नहीं। विपक्षीगण क्र०1 से विपक्षीगण क्र०1 से 12 उपस्थित नहीं। विपक्षीगण क्र०1 से 12 को कितनी ही मर्तबा विधिवत नोटिस दिलाई जाकर उपरोक्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। दखील प्रार्थीगण के एक तरफा बहस करनी चाही। दखील प्रार्थीगण की एक तरफा बहस सुनी गयी। बहस के दौरान दखील प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के अंकित तथ्यों, दस्तावेजों के आधार पर तथा पूर्व में जारी दस्थायी निषेधाज्ञा को हमेशा के निस्तारण तक इन्फर्स किये जाने की दरख्वास्त पर बहस पत्रावली का अवलोकन किया। एक बहस पर मनन किया गया। न्याय हित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पूर्व में दिनांक 21-11-14 को जारी दस्थायी निषेधाज्ञा को विपक्षीगण के विरुद्ध हमेशा बाद के निस्तारण तक इन्फर्स की जाती है। पत्रावली हमेशा के लिए खारिज की जाकर हमेशा के लिए खारिज की जावे।	

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा